



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276439
CG-DL-E-23092026-276439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 770]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सं. 31/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 840(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जिसे सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका I में,—

- (i) क्रम सं. 41 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “10%” के स्थान पर, प्रविष्टि “5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम सं. 42 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “32.5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “27.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 46 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “10%” के स्थान पर, प्रविष्टि “5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं. 47 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “32.5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “27.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम सं. 49 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “10%” के स्थान पर, प्रविष्टि “शून्य” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम सं. 50 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “32.5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “22.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 24 सितंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/134/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: - मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

No. 31/2026-Customs

G.S.R. 840(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: -

In the said notification, in TABLE I, -

- (i) against S. No. 41, in column (4), for the entry “10%”, the entry “5%” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 42, in column (4), for the entry “32.5%”, the entry “27.5%” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 46, in column (4), for the entry “10%”, the entry “5%” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 47, in column (4), for the entry “32.5%”, the entry “27.5%” shall be substituted;
- (v) against S. No. 49, in column (4), for the entry “10%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 50, in column (4), for the entry “32.5%”, the entry “22.5%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 24th day of September, 2026.

[F. No. CBIC-190354/134/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 25/2026-Customs, dated the 8th July, 2026, *vide* number G.S.R. 600 (E), dated the 8th July, 2026.